International Journal of Humanities, Commerce and Education
Volume 2 | Issue 2 | February 2026 | ISSN: 3108-0456 (Online)
Available online at: https://ijhce.com/
DOI: https://doi.org/10.59828/ijhce.v2i2.35

नारीवादी विचारधारा एवं भारत में नारीवाद

निकिता उपाध्याय[1], डॉ. गीता यादव[2]
[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, तिलकधारी सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर
[2]शोध निर्देशक, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, तिलकधारी सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर
[1]Corresponding Author Email: nikitaupadhyay505@gmail.com

Received: 11 February 2026 **| Accepted:** 24 February 2026 | **Published:** 28 February 2026

सारांश

नारीवाद एक प्रगतिशील विचारधारा एवं आंदोलन है, इसका प्रमुख प्रयोजन महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, सामाजिक सम्मान एवं सहभागिता प्राप्त कराना तथा पितृसत्तात्मक संरचना को प्रश्नांकित करना है। इस विचार का आरंभ पश्चिमी जगत में उन्नीसवीं एवं बीसवीं सदी में मुख्यतः मतदान, शिक्षा तथा रोजगार के अधिकार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ हुआ तथा कालांतर में विभिन्न राष्ट्रों की सामाजिक व सांस्कृतिक संरचना एवं महिलाओं की स्थिति के आधार पर विकसित हुआ। महिलाओं की दयनीय स्थिति के कारणों एवं समाधान को विभिन्न धाराओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से तीन धाराएँ- उदारवादी नारीवाद, मूल परिवर्तनवादी नारीवाद तथा समाजवादी नारीवाद सम्मिलित हैं। भारत में नारीवाद का विकास मुख्य रूप से सामाजिक सुधार से संबंधित रहा है, जिसमें अनेक समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एनी बेसेंट इत्यादि ने बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया। स्वतंत्रता पश्चात भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को समानता एवं शिक्षा का कानूनी आधार सुनिश्चित किया गया। समकालीन समाज में नारीवाद के अंतर्गत लैंगिक न्याय, समान वेतन, राजनीतिक भागीदारी जैसे अन्य विषय सम्मिलित हैं, जिसका उद्देश्य स्त्री व पुरुष के परस्पर सहयोग से न्याय तथा समानता पर आधारित एक स्वस्थ मानवीय समाज का निर्माण करना है जहाँ दोनों को एक समान अधिकार, गरिमापूर्ण सहभागिता एवं सक्रिय नागरिक के रूप में सामाजिक भागीदारी प्राप्त हो।

Keywords: *नारीवाद, पितृसत्ता, लैंगिक समानता, महिला अधिकार, सामाजिक सुधार।*

परिचय

नारीवाद एक परिवर्तनकारी विचारधारा एवं आंदोलन है, जो दृढ़ जीवन दृष्टि प्रदान करने एवं महिलाओं की समाज में समान सहभागिता के वैध दावे का प्रबल प्रतिनिधित्व करती है। इस विचारधारा का मुख्य प्रयोजन उन सभी पुरुष प्रधान सत्ताओं एवं मान्यताओं का सफाया करना है, जो महिलाओं के शोषण का आधार हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से नारीवाद का उदय उन्नीसवीं एवं बीसवीं सदी में पश्चिमी समुदाय में स्वीकार किया जाता है, जहाँ महिलाओं ने सर्वप्रथम शिक्षा, काम करने का अधिकार एवं मताधिकार जैसे बुनियादी अधिकारों हेतु आंदोलन किए। यह आंदोलन क्रमशः दुनिया के अन्य भागों में प्रसारित हुआ तथा प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अद्वितीय पारंपरिक परिप्रेक्ष्यों में एक नवीन दायरे में विकसित हुआ तथा प्रमुख रूप से तीन धाराओं– उदारवादी नारीवाद, आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद एवं समाजवादी नारीवाद में विभाजित किया गया।

भारत में नारीवाद की शैली पश्चिमी देशों से विशिष्ट एवं विस्तृत रही है। इसके विकास की प्रक्रिया में समाज की पितृसत्ता, धर्म से संबंधित मान्यता एवं सांस्कृतिक रिवाज के कारण विविध कठिनाइयाँ आईं। इसका आरंभिक विकास

This is an open access article under the Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 International License.
© The Author(s) 2026. IJHCE Published by Surya Multidisciplinary Publication.

सामाजिक सुधार क्रांतियों के दौरान उन्नीसवीं सदी में हुआ, जिसके अंतर्गत बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक जैसी कुरीतियाँ शामिल थीं, जिसके विरुद्ध राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं सावित्रीबाई फूले जैसे सामाजिक सुधारकों ने आंदोलन किए। तत्पश्चात बीसवीं सदी में सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट आदि ने स्वराज संग्राम में सहभागिता के साथ महिलाओं के अधिकारों हेतु भी संघर्ष किया। स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं की शिक्षा, समानता एवं रोजगार जैसी आधारभूत अधिकारों हेतु कानून बनाए गए, जिसके फलस्वरूप नारीवाद को विधिक आधार प्राप्त हुआ। वर्तमान नारीवाद का आकार अधिक विस्तृत हुआ है, जिसके अंतर्गत समान कार्य हेतु समान वेतन, लैंगिक न्याय, घरेलू हिंसा, सार्वजनिक एवं राजनीतिक भागीदारी आदि सम्मिलित हैं। अतः नारीवाद का विकास केवल सामाजिक उत्थान तक प्रतिबंधित न होकर समाज में विस्तृत बदलाव की प्रक्रिया के रूप में संस्थापित हो गया है।

नारीवादी विचारधारा

नारीवादी विचारधारा मुख्यत : पितृसत्ता तथा महिलाओं की पराधीनता का खंडन करते हुए समाज में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समानता का समर्थन करती है। साथ ही यह समाज में महिलाओं की भूमिका और पुरुषों के समान उनके अधिकारों को भी सम्मिलित करती है। नारीवादी विचारधारा के अनुसार महिलाओं की सामाजिक स्थिति का आधार उनकी चेतना को न मानकर उनकी प्राकृतिक रूप से निर्धारित शारीरिक संरचना के अनुसार बना दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाएँ सदियों से सामाजिक जीवन में असमानता और हीन स्थिति का सामना करती रही हैं, जो उनके शोषण का प्रमुख कारण है। नारीवादियों के अनुसार महिला और पुरुष के मध्य स्थापित भिन्नता को केवल जैविक या वैज्ञानिक निष्कर्ष के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह हमारी सांस्कृतिक एवं पारंपरिक संरचना की उपज है। यह भिन्नता सामाजिक नियमों, विचारों एवं संस्थाओं द्वारा निर्मित है, जो पुरुष वर्ग के नियंत्रण को महिलाओं के सम्पूर्ण जीवन पर स्थापित करती है। इसके परिणामस्वरूप पितृसत्ता को बढ़ावा मिलता है तथा महिलाओं के निजी एवं सार्वजनिक जीवन में शोषण की स्थिति उत्पन्न होती है।

नारीवादी अपने अधिकारों के पक्ष में यह तर्क देती है कि पितृसत्ता का प्रभाव केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निजी जीवन, पारिवारिक संबंधों तथा शारीरिक संबंधों के दायरे में भी शामिल है। जीवन के जिन क्षेत्रों को निजी मानकर राजनीतिक दायरे से बाहर कर दिया जाता है, वे भी महिलाओं के शोषण का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। अतः इन्हें केवल व्यक्तिगत क्षेत्र मानकर नजरअंदाज करने के बजाय राजनीतिक दृष्टिकोण से समझने तथा व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं को राजनीतिक मान्यता प्रदान करने की मांग का समर्थन करते हुए पैतृक सत्ता को चुनौती देती हैं। नारीवाद संकीर्ण विचारधारा नहीं, अपितु काल एवं परिवेश के आधार पर विकसित एक बहुमुखी विचारधारा है। अनेक कालखंडों में यह विचारधारा अपने भिन्न–भिन्न लक्ष्यों की पूर्ति हेतु उदित होती रही है। शुरुआत में नारीवादी दृष्टिकोण ने महिलाओं के मतदान के अधिकार हेतु संघर्ष किया तथा लंबे संघर्ष के बाद इसमें सफलता प्राप्त की। अफ्रीका में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के विरुद्ध संघर्ष, भारत में बाल विवाह विरोध, सती प्रथा विरोध, विधवा विवाह व दहेज उन्मूलन से संबंधित संघर्ष तथा अन्य संघर्ष जैसे तलाक, गुजारा भत्ता आदि से संबंधित संघर्ष शामिल हैं। नारीवादी विचारधारा के अंतर्गत महिलाओं की हीनतम एवं दमनकारी स्थिति, असमानता एवं शोषण के विभिन्न कारणों एवं उनके समाधान के आधार पर अलग–अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत हैं, जिनमें प्रमुख रूप से उदारवादी नारीवाद, आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद एवं समाजवादी नारीवाद को सम्मिलित किया जाता है।

उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों के समान तार्किक चेतना माना जाता है, तथा उनके शोषण का आधार शिक्षा एवं कानूनी अधिकारों के अभाव को माना जाता है। उग्रवादी विचारधारा महिलाओं के दमन का आधार जैव वैज्ञानिक न मानकर सामाजिक व्यवस्थापन की उपज मानती है, तथा पारिवारिक व्यवस्था से पितृसत्ता को जड़ से समाप्त करना इनका प्रमुख प्रयोजन है तथा समाजवादी विचारधारा निजी स्वामित्व प्रणाली के अंतर्गत अवैतनिक घरेलू कार्यों के द्वारा महिलाओं के शोषण पर ध्यान केंद्रित करती है। आधुनिक काल में नारीवाद की प्रकृति सार्वभौमिक होते हुए प्रत्येक समाज के सांस्कृतिक स्वरूप के आधार पर विविध रूप में विस्तार व परिवर्तन प्राप्त किए हुए है। वर्तमान में नारीवाद न सिर्फ वैधानिक समानता, अपितु अनेक नए मुद्दे जैसे लैंगिक न्याय, शारीरिक स्वायत्तता, समान कार्य हेतु समान वेतन, कार्यस्थल पर यौन शोषण, लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सम्मिलित करता है तथा सामाजिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण की सतत प्रक्रिया के स्वरूप में संस्थापित हो चुका है।

नारीवादी विचारधारा का विकास

नारीवाद के इतिहास का आरम्भ 20वीं सदी से माना जाता है, जब स्त्रियों द्वारा सार्वजनिक व राजनीतिक गतिविधियों में फ्रांसीसी क्रांति के समय भाग लिया गया। 1840 के दशक में हुआ सेनेका फॉल्स कन्वेंशन अमेरिकी महिलाओं द्वारा अधिकारों के आंदोलन का आरम्भ माना जाता है। तत्पश्चात स्त्रियों को वोट देने के अधिकार की मांग विकसित देशों द्वारा किया जाने लगा। 1893 में न्यूजीलैंड को स्त्री मताधिकार प्राप्त करने में पहली सफलता मिली तथा 1920 में अमेरिका में स्त्रियों को मतदान का अवसर मिला।

एक विचारधारा के रूप में नारीवाद की गठित व्यवस्था का प्रयास 1970 के दशक में किया गया तथा पूर्ण रूप से 1990 के दशक में नारीवाद की स्थापना हुई। नारीवादी विचारधारा में 21वीं शताब्दी में अनेक प्रभावशाली परिवर्तन हुए।

नारीवाद एक बहुमुखी एवं प्रभावशाली विचारधारा है, जिसके अंतर्गत स्त्री व पुरुष के मध्य असमानता के कारणों व समाधान से संबंधित तरीकों को तीन प्रमुख धाराओं में बाँटा जा सकता है–

1–उदारवादी नारीवाद

2–आमूल परिवर्तनवादी / कट्टरपंथी नारीवाद

3–समाजवादी नारीवाद

उदारवादी नारीवाद–

उदारवादी विचारधारा का आरम्भ 18वीं शताब्दी में पाश्चात्य समाज द्वारा हुआ। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट के अपने लेख "Vindication of the Rights of Woman" (1792) से मानी जाती है, जिसके अंतर्गत उन्होंने महिलाओं की दयनीय स्थिति को उजागर किया तथा इससे बाहर निकलने का आह्वान किया। इस विचारधारा से संबंधित अन्य प्रमुख विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने सन् 1869 में अपने लेख "Subjection of Women" में महिलाओं के शिक्षा, नागरिकता व संपत्ति के अधिकार की बात की। बेट्टी फ्रीडन (जिन्हें महिला मुक्ति की जनमदाता कहा जाता है) ने अपने लेख "The Feminine Mystique" (1963) में महिलाओं के स्वतंत्रता व आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत की।

उदारवादी आंदोलन ने उस विचारधारा को चुनौती दी जिसके अंतर्गत महिलाओं को एक घरेलू वस्तु माना जाता था, जिसका प्रमुख कार्य घरेलू कामकाज एवं संतानोत्पत्ति व संतान का पालन–पोषण करना था। इस विचारधारा ने महिलाओं को पुरुषों के समान कानूनी व राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का समर्थन किया।

आमूल परिवर्तनवादी / कट्टरपंथी नारीवाद–

आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा का आरम्भ 1960 के दशक से माना जाता है। इस विचारधारा से संबंधित नारीवादियों ने महिलाओं को घरेलू कार्य की वस्तु मानने तथा सीमित घरेलू भूमिकाओं से मुक्ति प्रदान करने हेतु पुराने पितृसत्तात्मक ढाँचे को जड़ से समाप्त करने की दिशा में आंदोलन चलाया। इनके अनुसार समाज द्वारा महिलाओं के शोषण का आधार जैव–वैज्ञानिक न होकर समाज द्वारा बनाई गई संरचना का परिणाम है, जिसे नारीवादी लेखिका सिमोन द बोउवार ने अपने लेख "The Second Sex" में कहा कि "स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि बना दी जाती है।"

आमूल परिवर्तनवादी नारीवादियों की मूल भावना "व्यक्तिगत ही राजनीतिक है" है। ये विचारक पुरानी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव की मांग करती हैं तथा राजनीति के साथ–साथ निजी जीवन में भी समानता के अधिकार की मांग करती हैं।

समाजवादी नारीवाद–

समाजवादी नारीवाद की प्रतिपादक शीला रोबोथम को माना जाता है, जिन्होंने महिलाओं से संबंधित इतिहास का अध्ययन किया तथा महिलाओं के इतिहास के अध्ययन को उनके भविष्य की दिशा निर्धारण में सहायक माना। इनके अनुसार महिलाओं के शोषण का प्रमुख कारण पुरुष प्रधान समाज है, जिसके अंतर्गत पुरुष वर्ग को समस्त संपत्तियों, जिनमें स्त्रियों को भी शामिल किया जाता है, का स्वामी बना दिया जाता है तथा पूँजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत स्त्रियों का शोषण उन्हे केवल श्रम का स्रोत मानकर किया जाता है।

भारत में नारीवाद

प्रत्येक समाज के संतुलित विकास एवं उसके गठन हेतु पुरुषों व स्त्रियों का परस्पर सहयोग एवं पारस्परिक निर्भरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी नारीवाद का उद्देश्य पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष तथा महिलाओं हेतु समान अधिकार एवं समाज में महिलाओं की गरिमापूर्ण स्थिति की स्थापना संबंधी मांगों पर आधारित है। भारतीय नारीवाद के इतिहास से संबंधित चरणों को निम्न कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है–

(i) प्रथम चरण (1850–1915)

(ii) द्वितीय चरण (1915–1947)

(iii) तृतीय चरण (1947–वर्तमान)

प्रथम चरण (1850–1915)

इस चरण में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक अवस्था पुरुषों की अपेक्षा निम्न थी तथा समाज में उनकी स्थिति पुरुषों से गौण मानी जाती थी ,जिसके अंतर्गत सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा जैसी कुरीतियाँ भारतीय समाज में विद्यमान थीं। प्रथम चरण का भारतीय नारीवादी आंदोलन भारतीय समाज में व्याप्त इन कुरीतियों को समाप्त करने तथा सामाजिक सुधार आंदोलन व राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम पुरुष समाज सुधारकों द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती शामिल हैं। इस चरण की अन्य महिला नारीवादी विचारक जैसे– ताराबाई शिंदे, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई इत्यादि विचारकों का प्रमुख योगदान है।

द्वितीय चरण (1915–1947)

द्वितीय चरण प्रथम चरण के आधार पर आगे बढ़ा। इस काल में भारतीय महिलाएँ स्वयं महिला सुधार हेतु जागृत हुईं तथा स्वतंत्रता आंदोलन व श्रमिक आंदोलन में भी उन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई। इस दौरान डॉ. भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु अनेक प्रयास किए गए। महात्मा गांधी द्वारा बाल–विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज, बाल विवाह इत्यादि कुरीतियों का विरोध तथा डॉ. अंबेडकर द्वारा संवैधानिक प्रावधानों व कानूनी रूप से सुधार के माध्यम से किए गए प्रयास अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इस चरण के अन्य प्रमुख नारीवादियों जैसे सरला देवी चौधरानी, दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी, कामिनी रॉय इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

तृतीय चरण (1947 – वर्तमान)

भारतीय नारीवाद के तृतीय चरण के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति में सुधार तथा महिलाओं के सार्वजनिक जीवन एवं निजी जीवन में समानता हेतु अनेक बदलाव भी हुए, जिनके अंतर्गत महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से समानता एवं शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध व संपत्ति संबंधी अधिकार इत्यादि सकारात्मक परिवर्तन शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत भारतीय नारीवादी विचारकों में प्रमुख रूप से मेधा पाटकर, वंदना शिवा, मेघना पंत, निवेदिता मेनन, नीरा देसाई इत्यादि शामिल हैं।

निष्कर्ष

मनुष्य शब्द को रेखांकित करने में हालांकि महिला एवं पुरुष दोनों अंतर्निहित होते हैं, परंतु सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया ने महिला एवं पुरुष को दो विभिन्न वर्गों में विभक्त कर दिया है, जिसके फलस्वरूप समाज के परिचालन व्यवस्था में एक समूह की क्रियाशीलता एवं दूसरे समूह की परवशता स्वस्थ जीवनचर्या को कुंठित कर देती है। महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक असमानता एवं शोषण का कारण प्रत्येक राष्ट्र के अपने सामाजिक स्वरूप के आधार पर भिन्न है, परंतु नारीवादी विचारधारा ने प्रत्येक समाज की पैतृक सत्ता को चुनौती दी है तथा महिला को एक आत्मनिर्भर मनुष्य के रूप में पहचान दिलाने तथा उन्हें आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, साहित्य व सांस्कृतिक अधिकारों के साथ समाज के केंद्र में स्थापित करने का प्रयास किया है।

भारतीय नारीवाद के संदर्भ में भारतीय इतिहास के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति में परिवर्तनशीलता देखी जा सकती है। अपनी समावेशी प्रकृति के कारण भारत में महिला संबंधी आंदोलन विश्व में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न वर्ग, धर्म, किसान, शहरी, ग्रामीण, मध्यम वर्ग, आदिवासी इत्यादि सभी श्रेणी की महिलाएं अपने साथ एक विशेष अनुभव के साथ सम्मिलित हैं। वर्तमान परिदृश्य में जैसे–जैसे सामाजिक विकास की प्रक्रिया में विस्तार हुआ है, वैसे ही समाज में अनेक असमानता के नए आयाम भी प्रकट हुए हैं, जिसके फलस्वरूप समकालीन भूमंडलीकरण एवं प्रौद्योगिकी विकास के युग में नारीवाद की उपयोगिता और भी सुदृढ़ हो गई है। शिक्षा, संचार एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं के सशक्तीकरण के साथ महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रही हैं तथा राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में प्रभावशाली रूप से अपनी भूमिका निभा रही हैं।

अतः यह स्पष्ट होता है कि नारीवादी विचारधारा का उद्देश्य महिला एवं पुरुष के मध्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निष्पक्षता, सहभागिता एवं परस्पर सम्मान की भावना स्थापित करना है, जो समाज को न्यायसंगत एवं विकसित बनाने की दिशा में प्रयास करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

[1]. सिंह, वी. एन. तथा सिंह जनमेजय (2012): नारीवाद, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

[2]. सुजाता (2019): स्त्री निर्मिति (स्त्री विमर्श), सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली।

[3]. कस्तवार, रेखा (2016): स्त्री चिंतन की चुनौतियां, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।

[4]. देसाई, नीरा व ठक्कर ऊषा (2017): भारतीय समाज में महिलाएं, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली।

[5]. व्होरा आशारानी (2006): औरतः कल आज और कल, कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।

[6]. महरोत्रा, दीप्ति प्रिया (2001) : भारतीय महिला आन्दोलन : कल आज और कल, सम्पूर्ण ट्रस्ट, नई दिल्ली।

[7]. पटेल, डॉ० विभूति एवं खजुरिया राधिका (2016) : भारत में राजनैतिक नारीवाद : कर्ताओं, विमर्शो और रणनीतियों का विश्लेषण, Friedrich Ebert Stiftung, New Delhi.

[8]. मेनन, निवेदिता (2021) : नारीवादी निगाह से, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।

[9]. सिंह जादौन, वासुदेव (2017) : नारीवादी सिद्धांतों का विकास एवं समकालीन समाज में नारी जीवन, Kaan International Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, Vol-4/Iss-2/A, Page No. 144-148144&148, गेस्ट फैकल्टी (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, अटेर जिला भिण्ड (म.प्र.)।

[10]. https://www.academia.edu

Cite this Article:

उपाध्याय, निकिता & यादव, गीता (2026). नारीवादी विचारधारा एवं भारत में नारीवाद. International Journal of Humanities, Commerce and Education, 2(2), 38–43.

Journal URL: *https://ijhce.com/*

DOI: *https://doi.org/10.59828/ijhce.v2i2.35*